

(9)

- पेशक,
- जी० एस० कंग,
मुख्य सचिव ।
- आयुक्त, एकात्मिक विकास, लखनऊ
- आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त, लखनऊ
- क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक,
- क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक,
- जिला पदाधिकारी,
- आरक्षी अधीक्षक ।

पटना-15, दिनांक- 26 अप्रैल, 2004

विषय:- आम जनता की समस्याओं के निदान हेतु जन शिकायत कोषांग के गठन के संबंध में ।

आप अवगत हैं कि जनतांत्रिक सरकार की सफलता, शासन व्यवस्था की पारदर्शिता तथा आम लोगों में सरकार की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है । इस दृष्टिकोण से सरकार द्वारा जनता की समस्याओं/शिकायतों के प्रति और जागरूक होने एवं उनके त्वरित निवारण हेतु प्रभावकारी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है ।

अतः- राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय में आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष के स्तर पर तम क्षेत्र में प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक, जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक से लेकर प्रखंड एवं धाने के स्तर तक जन शिकायत कोषांग का गठन किया जाय तथा इसकी व्यवस्था तूचना अधिकारी से संबंधित कोषांग के साथ रखी जाय ताकि कार्य के दोहरीकरण से बचा जा सके ।

इस हेतु सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को 12 वीं वृहस्पतिवार को एवं 13 वीं जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक प्रति बुधवार को जन शिकायतों की सुनवाई करेंगे । साथ ही प्रत्येक स्तर पर ऐसे अभिलेखों का संधारण पंजी/कम्प्यूटर द्वारा किया जायगा ।

4- सभी जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड एवं थाने के लिए एक दिवस निर्धारित किया जायगा जिस दिन सम्बद्ध पदाधिकारी जन शिकायतों की सुनवाई कर उनका निपटारा करेंगे। चूंकि इन शिकायतों का निदान सरकार की प्राथमिकता है अतएव इस व्यवस्था को प्रभावकारी तरीके से लागू किया जाय।

विश्वासभाजन,

22/4/16

§ जी० एस० कंग §

मुख्य सचिव ।

22/4/16

722

ज्ञापक- ----- / पटना-15, दिनांक- 26 अप्रैल, 2006 ई०।

प्रतिलिपि- मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार, पटना/गृह सचिव, बिहार, पटना/ आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/16

§ अशोक कुमार चौहान §
सरकार के सचिव।

22/4/16